

कार्यालय,
आयकर आयुक्त- II, सूरत

कमरा नं.227, दूसरी मंज़िल, आयकर भवन, मजुरा गेट, सूरत-395 001

नं.सूरत/आ.आ.-II/तकनीकी/104/ डी-11/2009-10

दिनांक 29.03.2010

आ दे श

ट्रस्ट का नाम : दिव्यज्योति ट्रस्ट
पता : सुथार फलिया, ऐट ऐंड पोस्ट : मांडवी, ज़िला: सूरत
PAN : AABTD3401D

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी(5)(vi) के अधीन एतद्वारा आपको मान्यता प्रदान की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अंतर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन आपको दिया गया दान दाताओं के पक्ष में छूट के लिए पात्र होगा।

2 यह मान्यता प्रमाण पत्र दिनांक 11.03.2010 से मान्य है।

नोट (क) दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और दिनांक अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र कब से मान्य है।

(ख) इस मान्यता प्रमाण पत्र के ट्रस्ट/संस्था/फंड को अपने कर निर्धारण में छूट का दावा करने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। क्या निर्धारित अधिनियम की धारा 2(15) के अभिप्राय के अंतर्गत पूर्ण (चैरिटेबल) है और क्या धारा 11, 12, 12 ए (बी) और 13 में दी गई शर्तें पूरी होती हैं, के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी इसकी अलग से जाँच करेगा।

(ग) इस मान्यता के नवीनीकरण के लिए निर्धारण फार्म 10-जी में इस कार्यालय को आवेदन किया



ह/
(एस. डी. चरन)

आयकर आयुक्त-II सूरत

प्रतिलिपि:

- 1 संबंधित निर्धारित दिव्यज्योति ट्रस्ट, सुथार फलिया, ऐट ऐंड पोस्ट : मांडवी, ज़िला: सूरत.
- 2 निर्धारण अधिकारी, वाडें 6(1), सूरत को इस निदेश के साथ कि वे सुनिश्चित करें कि आवेदक द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक स्टेटमेंट धारा 80-जी(5) की शर्तों को पूरा करता है।
- 3 अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-6, सूरत

(एस. के. सिंघल)

आयकर अधिकारी (तक.)- II सूरत

कृते आयकर आयुक्त- II सूरत